

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

( पीठासीन अधिकारी: सी0 एल0 शर्मा, आर.ए.एस.)

दावा सं0-132/2015

प्रविष्टि दिनांक- 22.07.2015

1. कल्याण पुत्र नारायण जाति रेगर निवासी छावनी टोक तहसील टोंक जिला टोंक (राज0)।
2. काना पुत्र नारायण जाति रेगर निवासी छावनी टोक तहसील टोंक जिला टोंक (राज0)।
3. गंगाराम पुत्र नारायण जाति रेगर निवासी छावनी टोक तहसील टोंक जिला टोंक (राज0)।

वादीगण

## बनाम

1. नानगा पुत्र घासी जाति कीर निवासी कीरों का मोहल्ला छावनी टोंक तहसील टोंक जिला टोंक
2. चौधमल पुत्र कान्हा जाति कीर निवासी कीरों का कुआँ शमशान घाट के पीछे टोंक तहसील टोंक जिला टोंक (राज0)।
3. रामराज पुत्र कान्हा जाति कीर निवासी कीरों का कुआँ शमशान घाट के पीछे टोंक तहसील टोंक जिला टोंक (राज0)।
4. भोलू पुत्र जंगलया जाति कीर निवासी कीरों का कुआँ शमशान घाट के पीछे टोंक तहसील टोंक जिला टोंक (राज0)।
5. फकीर पुत्र कल्याण जाति कीर निवासी कीरों का कुआँ शमशान घाट के पीछे टोंक तहसील टोंक जिला टोंक (राज0)।
6. रामजीलाल पुत्र रोडूलाल जाति कीर निवासी कीरों का कुआँ शमशान घाट के पीछे टोंक तहसील टोंक जिला टोंक (राज0)।

प्रतिवादीगण

उपस्थित-श्री आशीष कुमार पाल-वकील वादीगण

## निर्णय

दावा घोषणा खातेदारी, दुरुस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक : 20/07/2015

वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत स्थायी निषेधाज्ञा पारित फरमायी जाकर प्रतिवादीगण को सदा सर्वदा के लिए पाबन्द किया जाये वे स्वयं जरिये नोकर, रिश्तेदार या अन्य दीगर व्यक्ति के वादी की तन्हा खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 53 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 53/823 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 53/824 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 53/825 रकबा 4 बिघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 127 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 744 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 744/818 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 25 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम धोलाखेडा तहसील व जिला टोंक राज0 में वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत नहीं करे तथा वादीगण को उक्त भूमि में फसल काश्त करने, काटने, उपयोग व उपभोग करने में बाधा उत्पन्न नहीं करे न कराये तथा वादीगण की उक्त आराजियात में होकर जबरन रास्ता नहीं निकाले तथा रास्ता निकाल कर उसमें झींकरा, मिट्टी आदि नही डालें। खर्चा मुकदमा दिलाया जायें। अन्य जो सहायता वादी के हित में हो प्रदान की जाये।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद तामिल उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की गयी। वकील वादी की एक तरफा बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वाद वादीगण एक तरफा कार्यवाही में स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना यह न्यायालय उचित समझता है।

## आदेश

फलतः वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या- 1 ता 6 स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को सदा सर्वदा के लिए पाबन्द किया जाये वे स्वयं जरिये नोकर, रिश्तेदार या अन्य दीगर व्यक्ति के वादी की तन्हा खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 53 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 53/823 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 53/824 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 53/825 रकबा 4 बिघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 127 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 744 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 744/818 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 25 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम धोलाखेडा तहसील व जिला टोंक राज0 में वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत नहीं करे तथा वादीगण को उक्त भूमि में फसल काश्त करने, काटने, उपयोग व उपभोग करने में बाधा उत्पन्न नहीं करे न कराये तथा वादीगण की उक्त आराजियात में होकर जबरन रास्ता नहीं निकाले तथा रास्ता निकाल कर उसमें झींकरा, मिट्टी आदि नही डालें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दपतर हो।

(सी0 एल0 शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी, टोंक

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक (राज०)

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

मुकाम टोंक व अलजाम सी०एल०शर्मा, आर.ए.एस. द्वारा अध्याशित

दावा सं०-132/2015

उनवान

1. कल्याण पुत्र नारायण जाति रेगर निवासी छावनी टोक तहसील टोंक जिला टोंक (राज०)।
2. काना पुत्र नारायण जाति रेगर निवासी छावनी टोक तहसील टोंक जिला टोंक (राज०)।
3. गंगाराम पुत्र नारायण जाति रेगर निवासी छावनी टोक तहसील टोंक जिला टोंक (राज०)।

वादीगण

बनाम

1. नानगा पुत्र घासी जाति कीर निवासी कीरों का मोहल्ला छावनी टोंक तहसील टोंक जिला टोंक
2. चौथमल पुत्र कान्हा जाति कीर निवासी कीरों का कुआँ शमशान घाट के पीछे टोंक तहसील टोंक जिला टोंक (राज०)।
3. रामराज पुत्र कान्हा जाति कीर निवासी कीरों का कुआँ शमशान घाट के पीछे टोंक तहसील टोंक जिला टोंक (राज०)।
4. भोलू पुत्र जंगलया जाति कीर निवासी कीरों का कुआँ शमशान घाट के पीछे टोंक तहसील टोंक जिला टोंक (राज०)।
5. फकीर पुत्र कल्याण जाति कीर निवासी कीरों का कुआँ शमशान घाट के पीछे टोंक तहसील टोंक जिला टोंक (राज०)।
6. रामजीलाल पुत्र रोडूलाल जाति कीर निवासी कीरों का कुआँ शमशान घाट के पीछे टोंक तहसील टोंक जिला टोंक (राज०)।

प्रतिवादीगण

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, टोंक व हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री जारी जाती है कि

प्रतिवादीगण 1 ता 6 को सदा सर्वदा के लिए पाबन्द किया जाये वे स्वयं जरिये नोकर, रिश्तेदार या अन्य दीगर व्यक्ति के वादी की तन्हा खातेदारी व कब्जे काशत की भूमि खसरा नम्बर 53 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 53/823 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 53/824 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 53/825 रकबा 4 बिघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 127 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 744 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 744/818 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा कुल कित्ता 7 कुल रकबा 25 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम धोलाखेडा तहसील व जिला टोंक राज० में वादीगण के कब्जे काशत में मजाहमत नहीं करे तथा वादीगण को उक्त भूमि में फसल काशत करने, काटने, उपयोग व उपभोग करने में बाधा उत्पन्न नहीं करे न करायें तथा वादीगण की उक्त आराजियात में होकर जबरन रास्ता नहीं निकाले तथा रास्ता निकाल कर उसमें झींकरा, मिट्टी आदि नही डालें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 20/01/2019 को जारी किया गया।

मोहर

(सी०एल०शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी, टोंक

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्तनामा वकील		
महन्तनामा वकील	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुताफरिक		
मुताफरिक					
मीजान			मिजान		

उपखण्ड अधिकारी, टोंक